चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 26.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 26.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री इमरान खान तथा उनके हमराही आरक्षी लवकुश यादव द्वारा अभियुक्त बुदुलिया पुत्र रजुवा निवासी कनकोटा थाना राजापुर को 27 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहम मुकदमा पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुरेश प्रताप सिंह तथा उनके हमराही टीम आरक्षी सचिन यादव. आरक्षी विनोद कुमार,आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह.आरक्षी दीपक कुमार द्वारा ताश के पत्तो पर हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलने वाले अभियुक्त 1.सलमान पुत्र मो0 अजबेर 2.रामप्रसाद पुत्र दुर्गाप्रसाद 3.कोदूराम पुत्र फतेहराम 4.छेदीलाल पुत्र सूरजदीन 5.शिवनरेश पुत्र कलिवा निवासीगण अशोह थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तो के कब्जे से मालफड 7500 रु व 52 अदद ताश के पत्ते, जामा तलाशी में 3120 रु बरामद किये गये। अभियुक्तो के विरुद्ध थाना पहाड़ी मे धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 यू0टी0 श्री शिवम कन्नौजिया तथा उनके हमराही आरक्षी महेन्द्र कुमार द्वारा अभियुक्त कल्लू पुत्र रामसजीवन को 17 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहम मुकदमा पंजीकृत किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्या के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 61/2021 धारा 498ए भादवि0 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त 1.रमाशंकर उर्फ विजय शंकर पुत्र नंदलाल यादव 2.प्रमोद कुमार यादव पुत्र रमाशंकर यादव 3.छोटकी देवी उर्फ छोटी देवी पत्नी रमाशंकर यादव निवासीगण चचोखर मजरा कोटवा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को को 03-03 वर्ष कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.10.2021 को वादी श्री मुन्नीलाल पुत्र छोटकेलाल यादव निवासी डभौरा थाना डभौरा जनपद रीवा म0प्र0 ने थाना बरगढ़ में सूचना दी थी कि उनकी पुत्री रेखा यादव को ससुरलीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग कर प्रताड़ित करना व पुत्री को दिनांक 10.10.2021 को जान से मारकर कुऐं में फेंक दिया था। सूचना पर दिनाँक 10.10.2021 को घटना के सम्बन्ध में थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 61/2021 धारा 498ए,304(B) भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम बनाम मृतका का पति प्रमोद कुमार यादव, ससुर रमाशंकर उर्फ विजय शंकर , सास छोटकी उर्फ छोटी

देवी उपरोक्त पंजीकृत किया गया था ।मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम द्वारा संपादित की गयी। दिनाँक 13.10.2021 को उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा दिनाँक 11.11.2021 को उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था । माननीय न्यायालय में ट्रायल के दौरान धारा 304बी भादवि0 का होना नहीं पाया गया तथा उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को धारा 498ए भादवि0 व 3/4 द0प्र0 अधि0 के तहत दण्डित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 186/2021 धारा 498ए भादवि0 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त 1.तुकेश दुबे उर्फ टुकेशधर दुबे पुत्र वंशीधर दुबे 2.वंशीधर दुबे पुत्र सूरजधर 3.ऊषा देवी पत्नी वंशीधर दुबे निवासीगण परदुवां थाना मऊ जनपद चित्रकूट को को 03-03 वर्ष कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 16.10.2021 को वादी श्री नंदलाल द्विवेदी पुत्र ननकू प्रसाद निवासी बरगढ़ थाना बरगढ द्वारा थाना मऊ जनपद चित्रकूट में सूचना दी थी कि उनकी पुत्री हेमा उर्फ ऋतंभरा को ससुरलीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग कर प्रताड़ित किया गया व पुत्री को दिनांक 12.10.2021 को जहरीला पदार्थ खिलाकर मार डाला । इस सूचना पर दिनाँक 16.10.2021 को घटना के सम्बन्ध में थाना मऊ में मु0अ0सं0 186/2021 धारा 498ए,304(B),328 भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम बनाम पति तुकेश दुबे उर्फ टुकेशधर दुबे , ससुर वंशीधर दुबे, सास ऊषा देवी उपरोक्त व ननद ननकी देवी ,मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम द्वारा संपादित की गयी। विवेचना से ननद ननकी देवी उपरोक्त की नामजदगी गलत पायी गयी । दिनाँक 02.02.2022 को उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा दिनाँक 27.04.2022 को उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था । माननीय न्यायालय में ट्रायल के दौरान धारा 304बी,328 भादवि0 का होना नहीं पाया गया तथा उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को धारा 498ए भादवि0 व 3/4 द0प्र0 अधि0 के तहत दण्डित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज(जू0डि0) श्रीमती शैफाली यादव द्वारा थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 722/2014 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त हरीशंकर पुत्र संतीदीन निवासी अर्दली बाजार कोतवाली कर्वी बांदा जनपद बांदा को 1600 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह एवं पैरोकार आरक्षी मनीष कुमार तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल निरीक्षक श्री श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेनु मिश्रा द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2020 धारा 376 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त भगवानदीन पुत्र बाबू निवासी टेकारी मजरा सेमरदहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को अजीवन कारावास और 05 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का विवरण:-

दिनाँक 23.07.2020 को एक वादिया थाना बहिलपुरना में सूचना दी थी कि भगवानदीन उपरोक्त द्वारा घर में उनकी नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है । सूचना के आधार पर थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2020 धारा 376 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट बनाम भगवानदीन उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा की गयी थी एवं दिनाँक 25.07.2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। दिनाँक 22.09.2020 को आरोपी के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था। उपरोक्त मुकदमें में वादिया तथा स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही थे।

(10). आज दिनाँक 26.09.2024 को जनपद न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम, जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जीएन, पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह, सीजेएम श्री राजेंद्र प्रसाद भारती, सचिव/ अपर जिला जज विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नीलू मेनवाल ने संयुक्त रूप से आज जिला कारागार का त्रैमासिक निरीक्षण कर कानून व्यवस्था सहित कैदियों के खान-पान आदि का निरीक्षण किया।

उन्होंने महिला बैरक में निरुद्ध महिला कैदियों, चिकित्सालय एवं पाकशाला (रसोई घर) हाई सिक्योरिटी, बैरक नंबर 17,18,19 एवं 20 का निरीक्षण किया। जनपद न्यायाधीश व जिलाधिकारी ने महिला बैरक का निरीक्षण के दौरान निरुद्ध महिला कैदियों व पुरुष बैरक में निरुद्ध पुरुष कैदियों से खानपान व समस्याओं के बारे में जानककरी ली , उन्होंने अस्पताल वार्ड का निरीक्षण किया एवं कैदियों से उनके स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी लिया प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ विकास सिंह को निर्देश दिए कि कैदियों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहें। हाई सिक्योरिटी में कैदियों से समस्याओं के बारे में जानकारी लिए।

उन्होंने पाकशाला का निरीक्षण किया जहां मीनू के अनुसार रोटी सब्जी चना की दाल बनते हुएं पाया गया जनपद न्यायाधीश व जिलाधिकारी ने जेल अधीक्षक से कहा कि कैदियों को भोजन, नाश्ता प्रतिदिन मीनू के अनुसार शुद्धता के साथ दिया जाए इसमें कोई अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात उन्होंने भजन कीर्तन करने वाले कुछ कैदियों से पूजा पाठ हवन आदि के बारे में जानकारी ली तथा निरक्षर कैदियों के पठन-पाठन को भी देखा एवं उन्हें शिक्षा किट भी वितरण किया।

निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक श्री शशांक पांडेय, उप कारापाल श्री राजीव कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

(11). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, रामलीला को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय द्वारा प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह की उपस्थिति में थाना पहाड़ी में, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह द्वारा प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय की उपस्थिति में तथा थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा थाना भरतकूप में दुर्गा मूर्ती पण्डाल कमेटी, रामलीला कमेटी के सदस्यों, डीजे संचालकों, ग्राम प्रहरी एवं पीस कमेटी के सदस्यों के साथ गोष्ठी आयोजित की गयी। इन गोष्ठियों में त्यौहारों को सकुशल, सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण मनाने हेतु आवश्यक सुझाव लिये गये। इस दौरान सभी से अपील की गयी कि त्यौहारों पर कोई नई परम्परा न लायी जाये। इस दौरान दुर्गा पण्डाल कमेटी के सदस्यों एवं रामलील कमेटी के सदस्यों से कहा गया कि अपनी-अपनी कमेटी के सदस्यों को भीड़ नियंत्रण हेतु वॉलण्टीयर के रुप में तैयार करें जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैले।